बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– 9 / उपा / बीज(विविध)–32 / 2014 1300 / कृ0, पटना दिनांक 09-03-2016

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक प्रशासन
–सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **बिहार राज्य बीज निगम को बीज भंडारण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए 5422 लाख रूपये (चौवन करोड़ बाईस लाख रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से अनुसूचित जाति के लिए तत्काल 288.32 लाख रूपये (दो करोड़ अठासी लाख बतीस हजार रूपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या– 6329 दिनांकः 20.12.2013 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को बीज भंडारण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए 5422 लाख रूपये (चौवन करोड़ बाईस लाख रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से अनुसूचित जनजाति के लिए तत्काल 288.32 लाख रूपये (दो करोड़ अठासी लाख बतीस हज़ार रूपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. निकासी हेतु स्वीकृत 288.32 लाख रूपये का व्यय मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष–0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड P2401007890117 राज्य योजना स्कीम कोड– AGR 5015 विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में वर्ष 2015–16 के मूल बजट में उपबंधित 320 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा BTC फार्म 46 पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा अन्तरण के माध्यम से राशि बिहार राज्य बीज निगम के पी0एल0 खाता में स्थानांतरित की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा इस योजना के लिए अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक होंगे।

4. कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या– 6330 दिनांकः 20.12.2013 द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं शर्त्तें यथावत रहेंगी।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या–पी०पी०एम०–190/2006 के पृ०सं०– 106/टि. पर दिनांक– 10.12.2013 को प्राप्त है।

6. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

7. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पत्रांक–9/उपा/बीज(विविध)–32/2014 के पृ०सं०– 13 /टि. पर दिनांक–26.02.16 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम) 9/3/16
निदेशक प्रशासन
–सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 1300 /कृ0, पटना, दिनांक 09–03–, 2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 1300 /कृ0, पटना, दिनांक 09–03– 2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 1300 /कृ0, पटना, दिनांक 09–03– 2016

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 1300 /कृ0, पटना, दिनांक 09–03–, 2016

प्रतिलिपि– कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(प्रभु राम) 9/3/16
निदेशक प्रशासन
–सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।